न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2022/8 **दायर दिनांक 29.03.2022**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) **–सायल–**

बनाम

मो0 युसुफ पुत्र मो0 सदीक जाति लिलगर उम्र 41 साल निवासी वार्ड नम्बर 05 छीपों की मस्जिद के पास चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू। **–गैरसायल–**

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**
2. **श्री अब्दुल गफ्फार, अधिवक्ता वास्ते गैरसायल**

अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)

निर्णय **दिनांक : 16.01.2023**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट चूरु से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल मो0 युसुफ पुत्र मो0 सदीक जाति लिलगर उम्र 41 साल निवासी वार्ड नम्बर 05 छीपों की मस्जिद के पास चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू सट्टा की खाईवाली करने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :–

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	चार्जशीट नंबर व दिनांक	जे.एफ. नम्बर	फैसला अदालत
1.	281/14.07.2014	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 13.08.2014	623/2014	न्यायालय में विचाराधीन
2.	54/15.03.2017	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 13.07.2017	478/2017	सजा 13.07.2017
3.	102/20.05.2017	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 09.11.2017	735/2017	सजा 25.05.2018
4.	213/17.08.2018	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 30.01.2019	141/2019	न्यायालय में विचाराधीन
5.	214/18.08.2018	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 13.08.2019	816/2019	न्यायालय में विचाराधीन
6.	60/28.03.2019	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 13.09.2019	1045/2019	सजा 13.09.2019
7.	93/28.04.2019	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 17.08.2019	839/2019	सजा 17.08.2019
8.	283/07.12.2020	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 15.01.2021	109/2021	सजा 15.01.2021
9.	135/04.06.2021	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 01.12.2021	1313/2021	न्यायालय में विचाराधीन

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

सरकार जरिये पुलिस अधिक्षक चूरू बनाम मो0 युसुफ

जिला पुलिस अधीक्षक चूरू ने गैरसायल मो0 युसुफ पुत्र मो0 सदीक जाति लिलगर उम्र 41 साल निवासी वार्ड नम्बर 05 छीपों की मस्जिद के पास चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू के विरूद्ध धारा 3(3) राज0 गुण्डा नियन्त्रण 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल गफ्फार हाजिर आये। गैरसायल अधिवक्ता के ओर से दिनांक 20.05.2022 को जवाब पेश किया गया। गैरसायल अधिवक्ता ने जवाब में अंकित किया कि गैरसायल के विरूद्ध इस्गासा गलत ढंग से विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हैं। गैरसायल पर कभी भी भा0द0स0 के किसी भी अपराध के लिए आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हैं। गैरसायल मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो रंगाई का काम करके अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रहा हैं। प्रार्थी/गैरसायल के विरूद्ध पेश किये गये इस्तगासे को खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 13.01.2023 को गैरसायल अधिवक्ता एवं स्वंय गैरसायल ने उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी गरीब एवं मजदूरी पेशा व्यक्ति है, प्रार्थी अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति हैं। प्रार्थी पर पिछले एक वर्ष से किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हैं। प्रार्थी भविष्य में कोई भी अपराध नहीं करेगा तथा हमेशा सदाचारपुर्ण जीवन यापन करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण का निस्तारण इसी स्टेज पर करवाना चाहता हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दिये गये समस्त आदेश एवं निर्देशों की पालना करेगा।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 09 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू व गैरसायल अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 09 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. में दिनांक 14.07.2014, 15.03.2017, 20.05.2017, 17.08.2018, 18.08.2018, 28.03.2019, 28.04.2019, 07.12.2020 एवं 04.06.2021 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल मो0 युसुफ पुत्र मो0 सदीक जाति लिलगर उम्र 41 साल निवासी वार्ड नम्बर 05 छीपों की मस्जिद के पास चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल मो0 युसुफ पुत्र मो0 सदीक जाति लिलगर उम्र 41 साल निवासी वार्ड नम्बर 05 छीपों की मस्जिद के पास चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू को 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू गैरसायल मो0 युसुफ को थानाधिकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

2022/8

सरकार जरिये पुलिस अधिक्षक चूरू बनाम मो0 युसुफ

पुलिस थाना रतननगर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू